



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2020—आषाढ़ 5, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2020

क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा-7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा

उपधारा (2) के खण्ड (एक-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है जो उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :-

संशोधन नियम

इन नियमों में, —

प्रेरूप—एक में शब्द, अंक तथा कोष्ठक “धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक” के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक “धारा 13 की उपधारा (3)” प्रतिस्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2020

क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा-7, दिनांक 25 जून 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2020

F. 2-11/2018/VII/Sec7.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Sambhagon, Jilon, Upkhandon Tatha Tahsilon Ke Pariwartan, Srijan Tatha Samapti) Niyam, 2018 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 read with sub-section (1) and clause (i-a) of sub-section(3) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

AMENDMENT RULES

In these rules,-

In form-I for the words, figure and bracket "the proviso to sub-section (2) of Section 13" the words, figure and bracket "sub-section (3) of Section 13" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.